षोडश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03 बुधवार, दिनांक- 29 नवम्बर, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.35 बजे अप० तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 21 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-112, जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित ।

(iv) 140 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्य स्थगन :-

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री विजय शंकर दूबे से प्राप्त कार्य स्थगन सूचना के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

कार्यस्थगन की सूचना पर चर्चा कराने की माँग को लेकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी बातों को अपने स्थान पर जा कर कहें । तत्पश्चात् विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस आ गए ।

[3] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वर्ष-2013-14 एवं 2014-15 का वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा द्वारा बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष-2014-16 का विशेष प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-3018, दिनांक-10.10.2017/ 4042, दिनांक-17.10.2017/ 3077, दिनांक-13.10.2017/ 3058, दिनांक-12.10.2017/ 3031, दिनांक-11.10.2017/ 3083, दिनांक-13.10.2017/ 4006,

दिनांक-16.10.2017/ 4044, दिनांक-17.10.2017 एवं 7097, दिनांक-17.11.2017 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iv) माननीय प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा प्राधिकरण का वर्ष-2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[4] अन्य चर्चा :-

माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अपना पक्ष रखा गया ।

[5] शून्य काल :- निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर शून्यकाल की सूचना अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया ।

(i) श्री आनंद शंकर सिंह
(ii) श्री (डॉ०) विनोद प्रसाद यादव
(iii) श्री सुदामा प्रसाद
(iv) श्री महबूब आलम
(v) श्री सत्यदेव राम
(vi) श्री नीरज कुमार सिंह
(vii) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
(viii) श्रीमती भागीरथी देवी
(ix) श्री रामानुज प्रसाद
(x) श्री जिवेश कुमार
(xi) श्री तारकिशोर प्रसाद
(xii) श्री रामदेव राय

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न माँगों को लेकर वेल में आ गए ।

आसन से बार-बार अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए ।

[6] ध्यानाकर्षण सूचना :-

(i) माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद एवं अन्य सभासदों का सहकारिता विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री राणा रणधीर द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री संजीव चौरसिया का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा समय की माँग की गई फलस्वरूप ध्यानाकर्षण स्थगित हुआ ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 3.30 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

[7] ''बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017''

माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग श्री जय कुमार सिंह द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक के विभिन्न खण्डों में दिए गए संशोधन के प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुए तथा बारी-बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री समीर कुमार महासेठ तथा माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव एवं माननीय प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग, श्री नन्द किशोर यादव द्वारा पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के संबंध में विस्तार से पक्ष रखा गया ।

इस दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[8] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल-51 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तदुपरांत सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक- 30 नवम्बर, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-29.11.2017

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।